भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3280

20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में पूंजीगत वस्तुओं के लिए सामान्य अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र

3280. **डा. फौजिया खानः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र में सामान्य अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र (सीईएफसी) के उद्घाटन के बाद से इन केंद्रों का लाभ उठाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन सीईएफसी में उपलब्ध सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के बारे में स्थानीय निर्माताओं के बीच जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनाए गए जनसंपर्क के उपाय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास स्थापित सुविधाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर महाराष्ट्र के अन्य जिलों में केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, सेवाओं के दायरे का विस्तार करने या सफल मॉडलों को दोहराने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम के तहत, महाराष्ट्र में दो साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक समर्थ उद्योग प्रौद्योगिकी फोरम द्वारा पुणे के C4i4 में सीईएफसी की स्थापना और दूसरा पुणे में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में सीईएफसी की स्थापना है। महाराष्ट्र में कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) का उपयोग करने वाले एमएसएमई और प्रशिक्षुओं से संबंधित डेटा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख): ये सीईएफसी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर उद्योग जागरूकता कार्यशालाओं और सेमिनारों, व्यावहारिक प्रदर्शनों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों, उद्योग संघों और चैंबरों के साथ सहयोग और प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी जैसे आउटरीच उपायों का आयोजन करते हैं।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****